Director (D)

क्रम-संख्या 186 (ख-1)

रजिस्टर्ड नं0 एल0 डब्ल्यू/एन0पी0 561
लाइसेन्स नं0 डब्ल्यू0 पी0-41
(लाइसेन्स टू पोरट ऐट कन्सेशनल रेंट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

इलाहाबाद, शुक्रवार, 25 अगस्त, 2017 ई0
(भाद्र 3, 1939 शक संवत्)

ऊर्जा विभाग

[ऊर्जा (नि0नि0) प्रकोष्ठ]

उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग

अधिसूचना संख्या उ0 प्र0 वि0नि0आ0/सचिव/विनियम/आपूर्ति संहिता/2016/894

लखनऊ, दिनांक : 25 अगस्त, 2017 ई0

अधिसूचना

विविध

जबकि, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 176 एवं 183 के अनुसार तथा इसकी ओर से समस्त अन्य शक्तियों के अधीन उ0 प्र0 विद्युत आपूर्ति संहिता, 2005 (आठवां संशोधन), दिनांक 21 सितम्बर, 2016 को अधिसूचित किया गया था।

और जबकि, अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा विद्युत आपूर्ति संहिता, 2005 के कुछ प्राविधानों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है तथा उनके संशोधनों के लिए विद्युत आपूर्ति संहिता में अग्रेतर कुछ संशोधनों के लिये अनुरोध किया गया है।

और जबकि, आपूर्ति संहिता, खण्ड में कथित कठिनाइयों के कारणों से विद्युत आपूर्ति संहिता, 2005 में कुछ संशोधनों/प्रतिस्थापन/विलोपन के सम्बन्ध में संशोधन किये गये हैं।

और जबकि, उपर्युक्त के परिणामस्वरूप तथा अन्य महत्वपूर्ण कारणों से आपूर्ति संहिता, 2005 के कुछ प्राविधानों में सुधार किया जाना आवश्यक हो गया है और उनका संशोधन किया जाना है।

अब, इस प्रकार से विद्युत अधिनियम की धारा 50 तथा आपूर्ति संहिता, 2005 के प्राविधानों द्वारा प्रदत्त अधिकारों तथा इसकी ओर से दी गयी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग विद्युत आपूर्ति संहिता (नौवां संशोधन), 2017 के नाम से निम्नानुसार निर्गत करते हैं :

उत्तर प्रदेश विद्युत आपूर्ति संहिता (नौवां संशोधन, 2017)

1–संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रभावी होना:

(1) यह संहिता विद्युत आपूर्ति संहिता (नौवां संशोधन), 2017 कहलाएगी।

(2) अधिकारिक गजट में प्रकाशन की तिथि से यह प्रभावी होगी।

(3) 6.8 (अ) (II) में आठवें संशोधन के द्वारा जोड़े गये प्राविधान समाप्त हो जायेंगे तथा 4.9 (ट) में नये प्राविधान जोड़े जायेंगे।

2–प्रस्तर 4.9 (ट) के अन्तर्गत आर्थिक प्राविधान का समावेश–शहरी क्षेत्रों में अथवा उनसे लगी अविकसित/अनऊर्जीकृत कालोनियों के विद्युतीकरण के उद्देश्य से जहाँ की वितरण प्रणाली विकासकर्ता (लाइसेंसी) द्वारा विकसित नही की गयी है यह प्रस्तावित है कि वितरण लाइसेंसी ऐसी कालोनियों में संयोजनों हेतु आवश्यक वितरण प्रणाली विकसित करेंगे, जिससे उनके द्वारा एक योजना तैयार की जायेगी। वितरण प्रणाली के विकास की लागत की पूर्ति हेतु लाइसेंसी उपभोक्ताओं से प्लाट साइज का रु0 35 प्रति वर्ग फुट वसूलेंगे। यह योजना उन कालोनियों में लागू होगी जहाँ 25 प्रतिशत प्लाट स्वामियों ने अपने घरों का निर्माण कर लिया है तथा इनमें से 50 प्रतिशत ने एकमुश्त अथवा किस्तों में लाइसेंसी की योजना के अनुसार जमा कर दिया है। विकास अधिभार उन भूखण्ड/गृहस्वामियों द्वारा भी देय होगा, जिन्होंने अस्थायी व्यवस्था के माध्यम से संयोजन प्राप्त किये हैं। वितरण प्रणाली के विकास हेतु उच्च विभव (एच0टी0) लाइनों का निर्माण स्टील ट्यूबलर पोल (STP) तथा निम्न विभव लाइनों का निर्माण प्रिस्ट्रेस्ड सीमेंट कंकरीट (PCC) पोलों के माध्यम से किया जायेगा।

यदि लाइसेंसी द्वारा रु0 35 प्रतिवर्ग मीटर की दर से कालोनी के विद्युतीकरण की पूरी लागत का भुगतान प्राप्त नही होता है तो शेष धनराशि की वसूली लाइसेंसी द्वारा वार्षिक राजस्व आवश्यकता के माध्यम से पूँजीगत व्यय के रूप में की जायेगी।

यह योजना विकास प्राधिकरण/आवास विकास परिषद् द्वारा विकसित कालोनियों पर लागू नहीं होगी क्योंकि ऐसे संगठनों द्वारा विद्युत प्रणाली के विकास के व्यय को भूखण्ड के मूल्य में सम्मिलित होता है।

संजय श्रीवास्तव,
सचिव,
विद्युत नियामक आयोग।

UTTAR PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

No. UPERC/Secy./Regulations/Supply Code/2017/894

Lucknow dated August 25, 2017

WHEREAS the U.P. Electricity Supply Code, 2005 (Fifth Amendment) was notified on 25th August, 2014, in accordance with Sections 176 and 183 of Electricity Act, 2003 and all other enabling powers in this behalf;

AND WHEREAS, the licensees are facing difficulties in some of the provisions of the Electricity Supply Code, 2005, and amendments thereof and have requested further for some amendments in the Electricity Supply Code.

AND WHEREAS, by reason of some of the said difficulties in the Supply Code, 2005 some addendums/ substitution/ deletions in the Electricity Supply Code, 2005 and amendments thereof, have been made.

AND WHEREAS, as a result of the above, and for other substantial reasons, it has become necessary to amend certain provisions of the Supply Code, 2005, and amendments thereof ;

NOW, THEREFORE, in exercise of powers conferred by section 50 of the Electricity Act and the provisions of the Supply Code, 2005 and all other enabling powers in this behalf, the Uttar Pradesh State Electricity Regulatory Commission makes the following Electricity Supply Code (Ninth Amendment), 2017 namely :

U.P. STATE ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION, ELECTRICITY SUPPLY CODE (NINTH AMENDMENT), 2017

1–Short title and commencement–

(1) This Code shall be called the Electricity Supply Code (Ninth Amendment), 2017.

(2) It shall come into force on the date of publication in the Official Gazette.

(3) The provision under 6.8 (a) (iii) inserted by Eighth Amendment shall be abolished and new proviso under 4.9 (k) shall be added.

2–Addition of additional proviso under 4.9 (k)–For the purpose of electrification in undeveloped/ un-electrified colonies within or adjoining any urban area whose distribution network has not been developed by the developer, it is provided that the distribution licensee shall develop the necessary distribution network to facilitate connections in such colonies, for which a scheme shall be prepared by the licensee. To meet the cost of development of distribution network a sum of Rs. 35 per square feet of the plot size shall be charged by the licensee. This scheme will be implemented in those colonies where 25% of plot owners have built their houses and out of these 25% plot owners, 50% residents would have deposited the development charges @ Rs. 35 per square feet of their plot size in one lump sum or in instalments, as per the scheme envisaged by the licensee. The development charges shall also be payable by those plot/house owners who have taken the connections through temporary arrangement. For development of the network, the HT lines shall be built on STP and LT Lines on PCC Poles.

If the total cost of electrification of the colony is not recovered by the licensee through payments of @ Rs. 35 per square feet, the remaining amount can be recovered by the licensee as Capex in the ARR.

This scheme would not be applicable in the colonies developed by Development Authorities/ Housing Boards as the charges for developing the electrical infrastructure is already included in the price charged by these organizations for the plots.

SANJAY SRIVASTAVA,
Secretary,
U.P. Electricity Regulatory Commission.

पी0एस0यू0पी0 20 असाधारण गजट–08-09-2017–1747 प्रतियां (डी0टी0पी0 / आफसेट)।